न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 188/2024
जीसीएमएस नम्बर : 2024/349

प्रार्थी:–	**बनाम**	**अप्रार्थीगण :–**
मांगीलाल पुत्र मादाराम जाति घांची निवासी घांचियों का बास, चारभुजा मंदिर के पास मालपुरिया खुर्द तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान		1. टमाराम पुत्र घीसाराम 2. छोगाराम पुत्र घीसाराम 3. चुतराराम पुत्र घीसाराम जातिगण घांची निवासीगण घांचीयों का बास चारभुजा मंदिर के पास मालपुरिया खुर्द तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान। 4. सरपंच जरिये ग्राम पंचायत सुरायता तहसील सोजत जिला पाली।

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994"

उपस्थिति –

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सुश्री रेखा कुमारी।
2. अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर अधिवक्ता श्री महेन्द्र चौधरी।

–: निर्णय :–

दिनांक : 28/03/2025

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत सुरायता द्वारा मिसल संख्या 196/2017 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 31 दिनांक 20.06.2017 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी का स्वामित्वसुदा, पट्टासुदा मालिकाना हक का मकान ग्राम मालपूरिया खुर्द के आबादी क्षेत्र में आया हुआ है, जिसका पट्टा ग्राम पंचायत सुरायता द्वारा मिसल संख्या 78/1982–83 के द्वारा पट्टा संख्या 114 जारी किया। प्रार्थी एवं अप्रार्थी के मकान के मध्य 10 फुट की गली है तथा अप्रार्थी ने उक्त गली को सम्मिलित करते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी करवा दिया। ग्राम पंचायत ने सम्पूर्ण आदेशिका एक ही दिन में लिखकर पंचायत नियमों की अवहेलना करते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जिसे खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा जारी करने की प्रक्रिया में कोई त्रुटि नहीं की है। प्रार्थी

अति. जिला कलेक्टर पाली

ने उक्त पट्टे में जिस गली का जिक्र किया है उसको सम्मिलित करते हुये यह पट्टा जारी नहीं किया गया है। उक्त गली के सम्बन्ध में एक वाद सिविल न्यायालय सोजत में विचाराधीन है। अप्रार्थी ने नियमानुसार राशि जमा करवाते हुये प्रकरण में पंचायती राज नियमों की पालना करते हुये जारी किया है, जो विधिनुरूप है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत सुरायता द्वारा मिसल संख्या 196/2017 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 31 दिनांक 20.06.2017 के विरूद्ध पेश की है। वकील प्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि अप्रार्थी ने सामलाती गली को सम्मिलित करते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी करवा लिया। अधिवक्ता अप्रार्थी ने इसका विरोध करते हुये यह उज्र किया कि ग्राम पंचायत ने केवल आबादी भूमि का ही जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। इस तथ्य की पुष्टि हेतु पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम पंचायत सुरायता द्वारा मांगीलाल पुत्र मादाराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 114 दिनांक 28.12.83 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त पट्टे के पड़ौस पूर्व दिशा में 10 फुट सिरोली गली व घीसाराम का मकान अंकित है। इसी तरह जैर निगरानी पट्टे की पश्चिम दिशा में सामलाती गली रास्ता व मकान का दरवाजा अंकित है। जिससे यह तो पूर्णतया स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी दोनों पट्टों के मध्य सामलाती गली स्थित है। इसके अतिरिक्त अधिवक्ता प्रार्थी ने ऐसे कोई साक्ष्य/दस्तावेज पेश नहीं किये जिससे यह जाहिर हो सके कि ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा सामलाती गली को सम्मिलित करते हुये जारी किया हो। इसलिये अधिवक्ता प्रार्थी का उक्त कथन प्रमाणित नहीं होने की दशा में स्वीकार योग्य नहीं है।

राज पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत न्यायालय द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय ग्राम पंचायत द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया का परीक्षण किया जाना है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में पट्टा जारी करने की प्रक्रिया विहित है। जिसके अनुसार नियम 145 के तहत पंचायत से कोई भी आबादी भूमि/छूटा हुआ भूखण्ड या भूमि की कोई पट्टी खरीदने का इच्छुक कोई व्यक्ति पंचायत को लिखित आवेदन, उसमें उसका ऐसा विवरण देते हुए प्रस्तुत करने के प्रावधान है, जो क्रय के लिये प्रस्तावित भूमि की पहचान के लिये पर्याप्त हो तथा आवेदन के साथ स्थल निरीक्षण के व्ययों के पेटे पच्चीस रूपये की राशि जमा करानी होगी तथा आवेदन के साथ स्थल का नक्शा संलग्न नहीं किया गया हो तो आवेदक नक्शा तैयार करने के लिये भी पच्चीस रूपये जमा करायेगा। इसके पश्चात नियम 146 के तहत मिसल कायम करने तथा मौका निरीक्षण हेतु तीन पंचों की कमेटी मनोनीत करने तथा कमेटी द्वारा 15 दिवस के भीतर मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के प्रावधान है। नियम 147 के तहत अंतिम विनिश्चिय करने एवं नियम 148 के तहत एक माह की अवधि के भीतर आपत्ति आमन्त्रित करने का नोटिस जारी कर प्रकाशित करने के प्रावधान है। नियम 148 के अधीन जारी सूचना के प्रत्युत्तर में प्राप्त आक्षेप के निस्तारण के प्रावधान नियम 149 के तहत प्रदत्त है। नियम 150 के तहत भूमि को

अति. जिला कलेक्टर, पाली

नीलाम करने की प्रक्रिया विहित है। नियम 151 में नीलामी समिति प्रावधित है। नियम 152 में बाजार कीमत सम्बन्धी तथा नियम 153 में संदाय एवं पुनर्विक्रय करने के प्रावधान उल्लेखित है तथा नियम 154 के तहत विक्रय की पुष्टि करने के प्रावधान है। नियम 155 के तहत कब्जा सुपुर्द करने के प्रावधान है। नियम 156 के तहत प्राईवेट बातचीत द्वारा आबादी भूमि का अन्तरण करने के प्रावधान है। नियम 157 के तहत पुराने गृहों का विनियमितीकरण के प्रावधान है, जिसमें 50 वर्ष से अधिकार पूर्व के निर्मित मकानों हेतु 100/– रूपये एवं इन नियमों के लागू होने की तिथि को 50 वर्षो के दौरान बने पुराने मकानों हेतु 200/– रूपये जमा कराने के पश्चात पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा। नियम 158 के तहत भूमियों का कमजोर वर्गों को आवंटन के प्रावधान है। नियम 159 के तहत भूमियों का रियायती कीमत पर आवंटन तथा नियम 160 के तहत अनुमोन के अध्यधीन अन्तरण और आवंटन के प्रावधान उल्लेखित है।

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 (1) के तहत जारी किया गया हैं। जहां तक ग्राम पंचायत को पट्टे जारी करने की अधिकारिता का प्रश्न है, तो यह सुस्पष्ट है कि ग्राम पंचायत आबादी भूमि में ही पट्टे जारी करने की अधिकारिता रखती है, आबादी के अतिरिक्त अन्य भूमि पर ग्राम पंचायत पट्टे जारी किये जाने हेतु अधिकृत नहीं है। हस्तगत प्रकरण में पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 140 से 157 में विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना का अभाव पाया गया हैं। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त रेकर्ड में मिसल के साथ कोई प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं है अर्थात् ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी द्वारा पट्टा जारी करवाने हेतु कोई प्रार्थना पत्र ही प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही सम्पूर्ण मिसल की आदेशिका पूर्व से लिखित आदेशिका की फोटोप्रति है, जिसमें पट्टाधारक से सम्बन्धित जानकारी बाद में अंकित की गयी है। जैर निगरानी आज्ञा से सम्बन्धित मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि आदेशिका दिनांक 05.05.2017, जो कि प्रथम आदेशिका थी, उसमें सचिव को पत्रावली कायम कर नक्शा तैयार करने एवं तीन पंचों को मौका निरीक्षण किये जाने के आदेश जारी किये गये, किन्तु किन तीन पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया जायेगा, उन्हे नामित नहीं किया गया। प्रश्नगत भूमि के नक्शे पर नक्शा बनाने वाले के तथा एक अप्रार्थी के हस्ताक्षर ही नहीं है तथा भूमि के निरीक्षण प्रपत्र पर किसी भी मनोनीत पंच के हस्ताक्षर नहीं है और न ही कोई राय कायम की गई। इसके अतिरिक्त उक्त आदेशिका पर सरपंच के हस्ताक्षर भी नहीं है। आवेदक द्वारा नियम 145(3) के तहत स्थल निरीक्षण के व्यय पेटे 25/– रुपये जमा करवाये जाने थे, जो नहीं करवाये गये। इसके पश्चात नियम 146 के तहत पत्रावली कायम की जाकर तीन पंचों को स्थल निरीक्षण हेतु नामित किया जाना था, जो नियम 146(3) ''क से ड'' के बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते, किन्तु इन प्रकरणों में उपरोक्त वर्णित प्रावधानों को दूषित करते हुए मनमर्जी की प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्यवाही की गई, जो पट्टा जारी

अति. जिला कलेक्टर पाली

किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लगाती हैं। प्रकरण में पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह समर्थन योग्य नहीं है।

हस्तगत प्रकरण में गवाहों के बयान फार्म पर बयानकर्ता की कोई जानकारी अंकित नहीं है और न ही बयानकर्ता के हस्ताक्षर है। साथ ही बयानफार्म पूर्व से ही निर्धारित कम्प्यूटर टाईप प्रारूप में है, जिसमें पट्टाधारक का नाम एवं पट्टे के पडौस का अंकन बाद में किया गया है। साथ ही पंचों द्वारा जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, उसमें भी मूलभूत तथ्यों का अभाव हैं। प्रकरण में जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया है वह एक कॉर्बन कॉपी है तथा आपत्ति इश्तिहार का सहजदृश्य स्थान पर चस्पानगी के सम्बन्ध में न तो कोई रिपोर्ट अंकित है और न ही किसी गवाह के हस्ताक्षर है। प्रकरण में जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, उसके सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त हुई अथवा नहीं ? यदि आपत्ति प्राप्त हुई, तो उक्त आपत्ति का क्या निस्तारण किया गया ? यह कहीं भी स्पष्ट नहीं हैं। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत के बैठक कार्यवाही रजिस्टर में बैठक दिनांक 05.05.2017 प्रस्ताव संख्या 2, बैठक दिनांक 22.05.2017 प्रस्ताव संख्या 2 तथा बैठक दिनांक 20.06.2014 प्रस्ताव संख्या 3 में मिसल संख्या 159 से 160 अंकित था जिसे कांट–छांट करके 160 से 251 लिखा जो कि प्रथमदृष्टया कूटरचित प्रतीत होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टे जारी किये जाने में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 145 से 157 में निहित प्रावधानों का पालन नहीं किया हैं। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी को गुप्त तरीके से पट्टे देने एवं उपकृत करने के लिए पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई हैं। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत सुरायता द्वारा मिसल संख्या 196/2017 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 31 दिनांक 20.06.2017 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि के साथ ग्राम पंचायत का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 28/03/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर पाली